वांछित विवरण

1.	मालियत विक्रय मूल्य	रु0 3,65,000/–
2.	बाजारी मूल्य	रु0 3,66,000/–
3.	कुल स्टाम्प का योग	रु0 36,600/–
4.	विक्रय अनुबन्ध पत्र दिनांक 8–11–2004 के समय अदा किया गया स्टाम्प शुल्क	रु0 23,000/–
5.	**विक्रय पत्र के सम्पादन के समय अदा किया स्टाम्प शुल्क**	**रु0 13,700/–**

6.	प्रमुख क्षेत्र	–	देहरा खास, देहरादून।
7.	क्षेत्र	–	चन्दर नगर, देहरादून।
8.	स्थान	–	चन्दर नगर, देहरादून।
9.	सम्पत्ति का प्रकार	–	आवासीय भवन।
10.	सर्किल रेट	–	भूमि – 2200/– रूपये प्रति वर्गमीटर निर्माण – 4200/– रूपये प्रति वर्गमीटर सम्पत्ति 56 वर्ष पुरानी निर्मित है।
11.	प्रमुख मार्ग से दूरी	–	विक्रीत सम्पत्ति मौहल्ला चन्दर नगर रोड से 50 मीटर अन्दर 9 फीट चौड़े रास्ते पर स्थित है तथा मुख्य हरिद्वार रोड से लगभग 400 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
10.	सम्पत्ति नम्बर	–	सम्पत्ति संख्या 22/2, नया नम्बर 42, चन्दर नगर, देहरादून, जिसका कुल क्षेत्रफल 1043.955 वर्गफीट यानि 96.98 वर्गमीटर जिसमें निर्मित क्षेत्रफल 684.41 वर्गफीट यानि 63.58 वर्गगीटर है।
11.	विक्रेता	–	श्री धर्म प्रकाश लखानी पुत्र स्वर्गीय श्री जोधा राम लखानी, निवासी 22/2, नया नम्बर 42, चन्दर नगर, देहरादून।
12.	क्रेता	–	श्री श्याम अग्रवाल पुत्र श्री शिव कुमार अग्रवाल, निवासी 11, चन्दर नगर, देहरादून।
13.	कुल स्टाम्प पृष्ठ	–	7
14.	रचयिता	–	श्री कुलदीप सिंह, एडवोकेट

Shyam Aggarwal

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. भारत INDIA Rs.10000

INDIA NON JUDICIAL

06AA 746823

विक्रय–पत्र

श्री धर्म प्रकाश लखानी पुत्र स्वर्गीय श्री जोधा राम लखानी, निवासी 22/2, नया नम्बर 42, चन्दर नगर, देहरादून, कि जिसे आगे इस विक्रय विलेख में "विक्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है)

.....विक्रेता

एवम्

श्री श्याम अग्रवाल पुत्र श्री शिव कुमार अग्रवाल, निवासी 11, चन्दर नगर, देहरादून, (कि जिसे आगे इस विक्रय विलेख में "क्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है)

.....क्रेता

विदित हो कि सम्पत्ति संख्या 22/2, नया नम्बर 42, चन्दर नगर, देहरादून, जिसके उत्तर में सम्पत्ति श्री श्याम अग्रवाल, दक्षिण में सम्पत्ति श्री अशोक मैनी, पूरब में 9 फीट चौड़ा रास्ता, एवं पश्चिम में सम्पत्ति श्री श्याम अग्रवाल, के मालिक स्वामी श्री जोधा राम लखानी थे। जो कि श्री जोधा राम लखानी की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् विक्रेता उक्त सम्पत्ति के मालिक स्वामी एवं काबिज चले आ रहे हैं।

और विदित हो कि सम्पत्ति संख्या 22/2, नया नम्बर 42, चन्दर नगर, देहरादून की बाबत नगर निगम, देहरादून के अभिलेखों में विक्रेता के नाम ही अंकित व दर्ज है और वही एकमात्र रूप से तमाम टैक्स अदा कर रहे हैं।

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

27525

और जैसा कि विक्रेता के अलावा सूची में वर्णित सम्पत्ति में अन्य कोई व्यक्ति साझीदार व भागीदार नहीं है। सूची में वर्णित सम्पत्ति इस समय तक हर प्रकार के भार, अधिभार, बन्धन, बन्धक, ऋण, आज्ञप्ति, कुर्की, वाद–विवाद, कर्जा सरकारी गैर सरकारी आदि–आदि से पूर्णतः मुक्त व पाकसाफ है, इस प्रकार विक्रेता को अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति को स्थानान्तरण आदि की बाबत सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं तथा सम्पत्ति को विक्रय किये जाने में किसी भी प्रकार की कोई विधिक अड़चन नहीं है।

और जैसा कि विक्रेता इस विक्रय विलेख के अन्त में वर्णित "सूची सम्पत्ति" को क्रेता को मु0 3,65,000/– रूपये (तीन लाख पैंसठ हजार रूपये) की एवज में विक्रय करने को सहमत है तथा क्रेता भी इसी विक्रय मूल्य पर सूची में वर्णित सम्पत्ति को क्रय करने को तैयार है। अतः यह विलेख अंकित किया जा रहा है।

अतः यह विलेख निम्न दर्शाता है:–

1. यह कि उपरोक्त वर्णित इकरार के अन्तर्गत विक्रेता ने सूची में वर्णित सम्पत्ति तथा उसमें निहित अपने समस्त अधिकार, सुखाधिकार कि जिनमें हवा, पानी, रास्ता, नाली आदि आदि के अधिकार शामिल हैं तथा वे अधिकार जो विक्रेता को वर्तमान में प्राप्त हैं तथा वे अधिकार जो विक्रेता को भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं को मु0 3,65,000/– रूपये (तीन लाख पैंसठ हजार रूपये) की एवज में आज स्थान देहरादून में स्थाई रूप से सदैव हेतु क्रेता को विक्रीत, अन्तरित एवं हस्तान्तरित

1000Rs.

27816

कर दी है तथा विक्रीत सम्पत्ति से अपना कब्जा हटाकर व उठाकर अपने समान ही स्थल पर बतौर मालिक, स्वामी क्रेता को सौंप दिया है तथा क्रेता को अपने समान ही सूची में वर्णित सम्पत्ति को बतौर मालिक, स्वामी, काबिज व अध्यासित करा दिया है।

2. यह कि क्रेता ने समस्त विक्रय धनराशि मु0 3,65,000/– रूपये (तीन लाख पैसठ हजार रूपये) विक्रेता को निम्नानुसार अदा कर दिये हैं:–

(क) मु0 1,00,000/– रूपये बजरिये चैक नम्बर 381406 दिनांक 8–11–2004 विजया बैंक, महन्त लक्ष्मण रोड़, देहरादून, अनुबन्ध के समय,

(ख) मु0 1,00,000/– रूपये बजरिये चैक नम्बर 381407 दिनांक 8–11–2004 विजया बैंक, महन्त लक्ष्मण रोड़, देहरादून, अनुबन्ध के समय,

(ग) मु0 85,000/– रूपये नकद, अनुबन्ध के समय;

(घ) मु0 80,000/– रूपये बजरिये चैक नम्बर 383419 दिनांक 20–12–2004 विजया बैंक, महन्त लक्ष्मण रोड़, देहरादून, विक्रय पत्र सम्पादन के समय;

जिसकी प्राप्ति की पुष्टि विक्रेता अपनी पूर्ण सन्तुष्टि में करता है तथा विक्रय मूल्य की बाबत कुछ भी लेना–देना शेष नहीं रह गया है। विक्रीत सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा आज ही क्रेता को मौके पर सौंप दिया है।

3. यह कि आज से विक्रेता का सूची में वर्णित सम्पत्ति पर कोई हक व अधिकार नहीं रह गया है।

4. यह कि विक्रेता ने निम्न वर्णित सम्पत्ति का रिक्त एवं वास्तविक अध्यासन स्थल पर क्रेता को सौंप दिया है। आज से क्रेता सूची में वर्णित सम्पत्ति के मालिक,

Shyam Agarwal

1000Rs.

27317

स्वामी, काबिज अध्यासी हो गया है तथा क्रेता को अधिकार प्राप्त है कि वह जिस प्रकार चाहे सूची में वर्णित सम्पत्ति का प्रयोग, उपयोग, उपभोग करे, निर्माण बनावे, रिहायश करे या अन्य किसी व्यक्ति को विक्रीत, अन्तरित एव हस्तान्तरित करे, इसमें विक्रेता अथवा उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकारी नहीं होगा।

5. यह कि विक्रीत सम्पत्ति की बाबत आज तक जो भी टैक्स, लगान आदि वाजिब होंगे उनको अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी, आज के बाद की क्रेता की होगी।

6. यह कि यदि भविष्य में क्रेता को विक्रेता से विक्रीत सम्पत्ति की बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज लिखाने अथवा ब्यान आदि दिलाने की आवश्यकता आन पड़ती है तो ऐसी कार्यवाही विक्रेता, क्रेता के व्यय व अनुरोध पर अंकित करने के लिए बाध्य होगा।

7. यह कि यदि भविष्य में विक्रीत सम्पत्ति या उसका कोई भाग विक्रेता के किसी दोष के कारण क्रेता के स्वामित्व व अध्यासन से निकल जाता है अथवा क्रेता को कोई हानि होती है तो ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति क्रेता मुझ विक्रेता से अथवा मेरी अन्य चल–अचल सम्पत्ति से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

8. यह कि यह विक्रय विलेख "विक्रेता", "क्रेता" के वारिसान, उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि आदि–आदि पर लागू व प्रभावी रहेगा।

वांछित विवरण

(1) यह कि विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व मे एक पंजीकृत इकरारनामा 8–11–2004 को अंकित व निष्पादित हुआ है, जोकि उप निबन्धक महोदय देहरादून की बही नम्बर 1 की जिल्द 1337 के पृष्ठ 535, ए0डी0फा0 बुक नम्बर 1 की जिल्द 1442 के पृष्ठ 45 से 54 में नम्बर 7439 पर दिनांक 8–11–2004 को विधिवत् दर्ज व अंकित है।

(2) विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से नही है।

(3) यह कि विक्रीत सम्पत्ति मोहल्ला चन्दर नगर रोड से 50 मीटर अन्दर 9 फीट चौड़े रास्ते पर स्थित है तथा मुख्य हरिद्वार रोड से लगभग 400 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

(4) यह कि विक्रीत सम्पत्ति नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत स्थित है, इसलिए उत्तरांचल अधिनियम 29 वर्ष 2003 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नही है।

(5) विक्रीत सम्पत्ति की भूमि का कुल क्षेत्रफल 96.98 वर्गमीटर है, इलाके का सर्किल रेट अधिकतम 2200/– रूपये प्रति वर्गमीटर पर निर्धारित है जिसके हिसाब से भूमि की कुल बाजारी कीमत 2,13,356/– रूपये बनती है तथा इसमें निर्मित क्षेत्रफल 63.58 वर्गमीटर है, साधारण निर्माण की मानक दर 4200/– रूपये पर निर्धारित है, निर्माण साधारण श्रेणी का 56 वर्ष पुराना निर्मित है, जिसके हिसाब से निर्माण की कीमत इसी मूल्य पर मु0 1,51,944/– रूपये होती है। इस प्रकार सम्पत्ति की कुल कीमत 3,66,000/– रूपये होती है तथा इसी मूल्य पर मु0 36,600/– रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। जबकि सम्पत्ति मु0

3,65,000/– रूपये में विक्रीत की जा रही है। विक्रीत सम्पत्ति के विक्रय अनुबन्ध पत्र दिनांक 8–11–2004 के समय मु0 23,000/– रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया हुआ है। इस प्रकार मु0 23,000/– रूपये का स्टाम्प शुल्क घटाते हुए इस विक्रय पत्र पर मु0 13,600/– रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

सूची विक्रीत सम्पत्ति

सम्पत्ति संख्या 22/2, नया नम्बर 42, चन्दर नगर, देहरादून, जिसका कुल क्षेत्रफल 1043.955 वर्गफीट यानि 96.98 वर्गमीटर जिसमें निर्मित क्षेत्रफल 684.41 वर्गफीट यानि 63.58 वर्गमीटर है, जिन्हें संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है, जिसकी सीमाएं एवं नाप निम्न प्रकार हैं:–

पूरब में – 9 फीट चौड़ा रास्ता, सीमा में नाप 26 फीट 10 इंच।
पश्चिम में – सम्पत्ति श्री श्याम अग्रवाल, सीमा में नाप 26 फीट 10 इंच।
उत्तर में – सम्पत्ति श्री श्याम अग्रवाल, सीमा में नाप 38 फीट 11 इंच।
दक्षिण में – सम्पत्ति श्री अशोक मैनी, सीमा में नाप 38 फीट 11 इंच।

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते
भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

16 DEC 2004

अतः यह विक्रय विलेख विक्रेता एवं क्रेता ने आज दिनांक 20–12–2004 को स्थान देहरादून में साक्षीगण के समक्ष अंकित व निष्पादित कर दिया ताकि समयानुसार काम आवे।

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

साक्षीगण :

1. नवनीत आर्य पुत्र श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता
नि० २०, कांवली रोड, देहरादून

2. राम अग्रवाल पुत्र श्री शिव कुमार अग्रवाल
नि० ११, चन्दर नगर, देहरादून

रचयिता एवं फोटो सत्यापित कर्ता श्री कुलदीप सिंह, एडवोकेट एवं उन्हीं के कार्यालय में मुद्रित किया गया।

विक्रेता

क्रेता

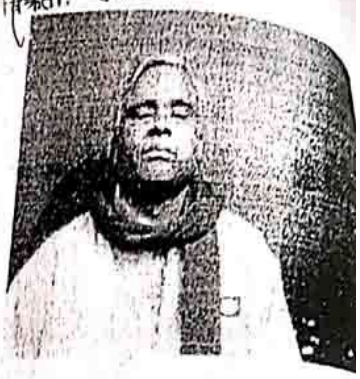

गवाह

बही न. 1	जिल्द 1,337	पृष्ठ 596	
ए.डी.फा.बुक 1	जिल्द 1452	पृष्ठ 965 से 976	
में न. 8349	पर आज दिनांक 20/12/2004	में रजिस्ट्री की गई ।	

उप निबन्धक सदर 1 देहरादून

विक्रय-पत्र

1001

मालियत बिक्रय पत्र 205,000रु0

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है 2,0,900रु0

स्टाम्प शीट की संख्या 7

स्टाम्प शुल्क 20900रु0 आवास विकास शुल्क सहित

कुल स्टाम्प का योग 20900रु0

मैं/हम कि मै कि राम सरन लखानी पुत्र स्वर्गीय श्री उदो राम लखानी निवासी 22, 1 चन्दर नगर देहरादून का हूं। -- विक्रेता

निम्नलिखित सम्पत्ति वाकं 22,1 चन्दर नगर देहरादून

के मालिक व काबिज हैं और हमारी यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार व रहन से मुक्त है उसको बदस श्री ~~श्याम अग्रवाल पुत्र श्री शिव कुमार अग्रवाल निवासी~~ श्री नं 0 11 चन्दर नगर देहरादून -- क्रेता.

विक्रय कर दिया हैं बदले में विक्रय धन 205000रु0 को निम्न प्रकार वसूल पाया विक्रय पत्र मे लेखानुसार

विवरण वाकं संपत्ति का पूर्ण विवरण अन्त मे दिया गया है।

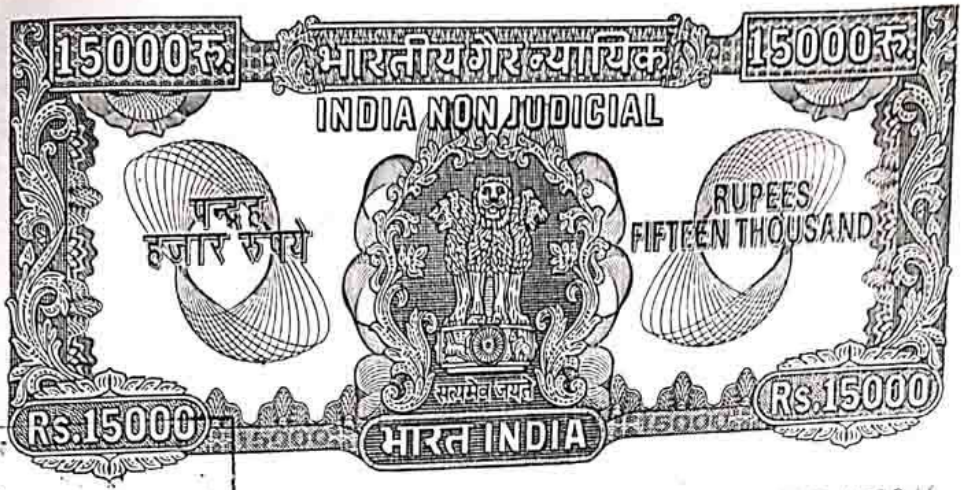

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

00BB 159813

ATTESTED

P. K. ARORA
Documents Writer

ओम

मै कि श्री राम सरन लखानी पुत्र स्वर्गीय श्री उदो राम लखानी निवासी 22, 1 चन्द्र नगर देहरादून का हूं। -----------

विक्रेता।

जो कि सम्पत्ति नं० 22, 1 चन्द्र नगर देहरादून जिसका कि पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त मे दिया गया है का मै विक्रेता पूर्ण स्वामी , काबिज , हकदार हूं । मेरे साथ और कोई साझी व भागी नही है हर प्रकार के बन्धनों, विक्रय बन्धन, कुर्की अदालत , जमानत , दान वसियत, कोर्ट अटेचमेन्ट आदि से बिल्कुल बरी व साफ है अन्य सम्पत्ति के साथ विक्रेता व स्वर्गीय श्री टेक चन्द लखानी , स्वर्गीय श्री बोधा राम लखानी व श्रीमति कुन्दों बाई लखानी (पत्नि स्वर्गीय श्री तारा चन्द लखानी) ने मिलकर द्वारा विक्रय पत्र रजिस्टरी शुदा दिनांक 25-6-1959 जिसकी कि जिल्दी रजिस्टरी कार्यालय सब रजिस्ट्रार देहरादून मे बही नं0 1 की जिल्द 576 के पृष्ठ 26, 29 मे दस्तावेज नं0 1774 पर दिनांक12-9-59 को हुयी पास से मुसम्मात साकरा सुलतान दुख्तर शेर मोहम्मद खां बेवा बाबू कुफायत उल्ला खरीद की । ---------

Ram Saran Lakhani

-2-

खरीदी गई सम्पूर्ण सम्पत्ति में प्रत्येक क्रेता का 1/4 भाग था। अत: आपसी बंटवारा हो जाने के पश्चात विक्रेता के हिस्से में आयी हुयी सम्पत्ति जो कि बंटवारे के पुराने नक्शे में हरे रंग से दिखलायी गयी है का वह अरसा दराज से स्वामी, काबिज, हकदार चला आ रहा है। नगर पालिका के स्वामित्व अभिलेखों में भी विक्रीत सम्पत्ति सं० 22/1 चन्द्र नगर देहरादून विक्रेता के नाम दर्ज चली आ रही है एवं टैक्स वगैरा भी विक्रेता अपने नाम से अदा करता है, अत: उपरोक्त सम्पत्ति को विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई बाधा, अड़चन या रुकावट नहीं है बर खिलाफ इसके मैं विक्रेता हर तरह से जिम्मेवार हूंगा।

उपरोक्त सम्पत्ति मय भूमि तहती वसम्बन्धित मय हर प्रकार के अधिकार मालिकाना, मय गुजर आमदोरफत, हवा, रोशनी पानी, निकास - पानी, मय पानी बिजली मुकम्मल चालू व फिट मय रास्ता वगैरा जो भी विक्रेता को प्राप्त है या प्राप्त हो सकते है वह सब के सब बिल एवज मुबलिग 2,05,000/- दो लाख पांच हजार रुपये आधे जिसके मुबलिग एक लाख दो हजार पांच सौ रूपये

Ram Saran Lakhani

500Rs.

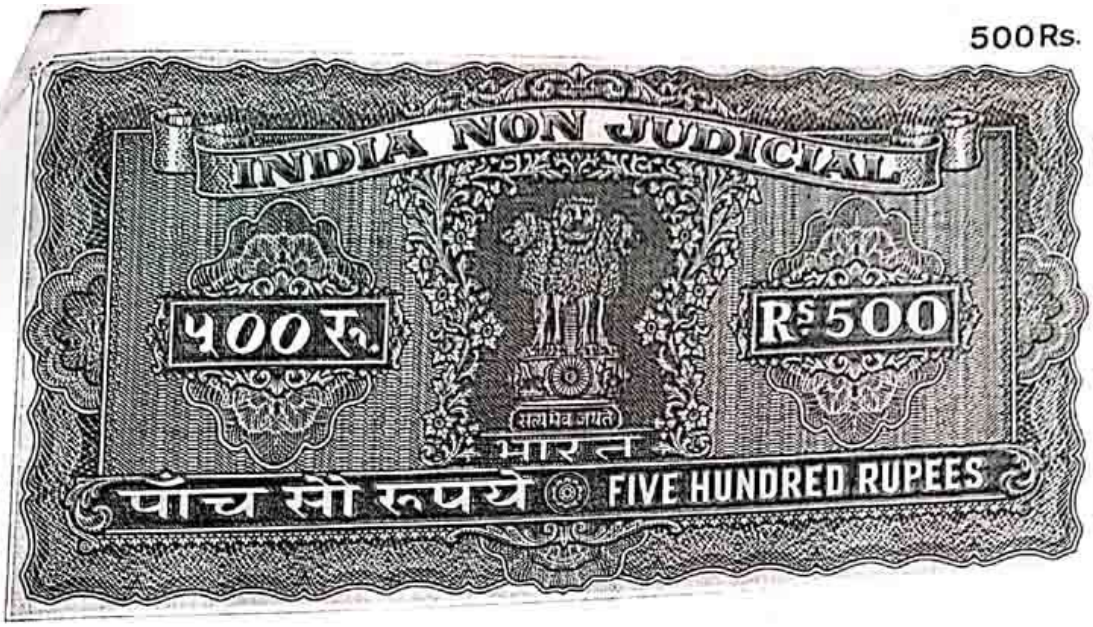

होते है पास श्री श्याम अग्रवाल पुत्र श्री शिव कुमार अग्रवाल निवासी नं० 11 चन्दर नगर देहरादून कराई विक्रय करके कुल कीमत इस प्रकार विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त की है कि:-----------------

(1) मुबलिग 105000रु० एक लाख पांच हजाररुपये द्वारा बैंकर्स चैक नं० 179990, 358, 98 दिनांक 27-10- 98 ई०

(2) मुबलिग 100000 रु० एक लाख रुपया द्वारा बैंकर्स चैक नं० 119991 , 358, 98 दि० 27- 10- 98 ई० दोनों बैंकर्स चैक पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक , ए० के० रोड, देहरादून के है । के द्वारा विक्रेता ने कुल कीमत क्रेता से प्राप्त कर ली है जो कि उसे स्वीकार है। क्रेता विक्रेता की तरह उपरोक्त सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी, काबिज हकदार हो गया है। अपने प्रयोग व उपभोग मेलावे, विक्रय बन्धन , वगैरा करे । नये सिरे से इमारत बनावे, किरायेदारान को आबादव बेदखल करे , खुद वसै आमदनी खावे, लाभ उठावे। कब्जा मौका पर वाकयी तौर पर विक्रेता ने क्रेता को दे दिया है। विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का कोई कुर्क मिलकियत नकले कोई दावेदार हो

Ram Saran Lakhani

100Rs.

सम्पत्ति का कुल या उसका कोई भाग कब्जा खरीदार से निकल जावे कोई अड़चन पड़े इन ऐसी तमाम सूरतों में विक्रेता व उसकी दूसरी हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति मय सूद कानूनी जिम्मेवार होगी। नगर पालिका के स्वामित्व अभिलेखों में व अन्य जहां कहीं भी इन्द्राज मिलकियत कराने की जरूरत हो क्रेता अपना करा लेवें और विक्रेता का नाम पृथक करा देवें। विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित पिछले कुल टैक्स कोरा सब मेरे जिम्मे है आयन्दा बजिम्मे खरीदार होंगे। यदि भविष्य में क्रेता महोदय को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये मुझसे कोई लेख या अन्य दस्तावेज या शपथपत्र आदि लिखाने की आवश्यकता पड़ जावे तो मैं क्रेता को पूर्व सूचना तथा उनके खर्चे पुर लिखने के लिये सदैव रहूंगा कभी कोई आपत्ति नहीं करूंगा। विक्रीत सम्पत्ति मोहल्ला चन्दर नगर में स्थित है मुख्य मार्ग पर नहीं है। मुख्य मार्ग से सौ मीटरसे अधिक की दूरी पर है। सम्पत्ति जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मरम्मत तलब है एवम पचासवर्ष पूर्व की निर्मित है खिड़की दरवाजे साधारण श्रेणी के है। सम्पूर्ण सम्पत्ति अति साधारण भवन है। कुल क्षेत्रफल 111- 02 वर्गमीटर है जिसका कि सरकारी सर्किल रेट 850रु0 प्रति वर्ग मीटर है जिसके अनुसार विक्रीत भूमिकी मालियत 94367 रु0 होती है। निर्मित क्षेत्रफल 78-30वर्ग मीटर है और पचासवर्ष पुराना होने के कारण

Ram Saran Lalhani

पी0डब्लू0डी0 मानक के अनुसार अपरजिलाधिकारी देहरादून द्वारा निर्धारित सरकिल रेट जो किदारण निम्नानुसार देय होने पर 2400 गुणा 78- 30 गुणा . 605 बराबर 1,13,691 रू0 होता है। इस प्रकार कुल विक्रीत भूमि सम्पत्ति की मालियत 2,08,058 रू0 होती है, जिसे परनियमानुसार आवासएवम विकास शुल्क शामिल करके दो लाख नौ हजाररूपये की मालियत पर 20900 रू0 का स्टाम्प दिया गया है।

सम्पत्ति सीलिंग से विमुक्त है।

विक्रेता व क्रेता मे कोई प्रतिज्ञा पत्र सम्पन्न नही है।

विक्रेता ने विक्रीत सम्पत्ति मे अपना सम्पूर्ण भाग विक्रय कर दिया है। विक्रेता का विक्रीत सम्पत्ति मे कोई भाग शेष नही रहा है। विक्रेता ने अपने स्वामित्व का टाईटल डीड, बंटवारे कानक्शा व टैक्स वगैरा की मय्ते रसीद क्रेता के लाभार्थ उनको सौप दी है। विक्रेता व क्रेता मे दोनो के उत्तराधिकारी व स्थानापन्न भी शामिल है।

विक्रीत सम्पत्ति का कब्जा व दखल मालिकाना व वाकयी मौका पर विक्रेता ने क्रेता को दे दिया है और विक्रेता ने अपना कब्जा उठा लिया है। --

100Rs.

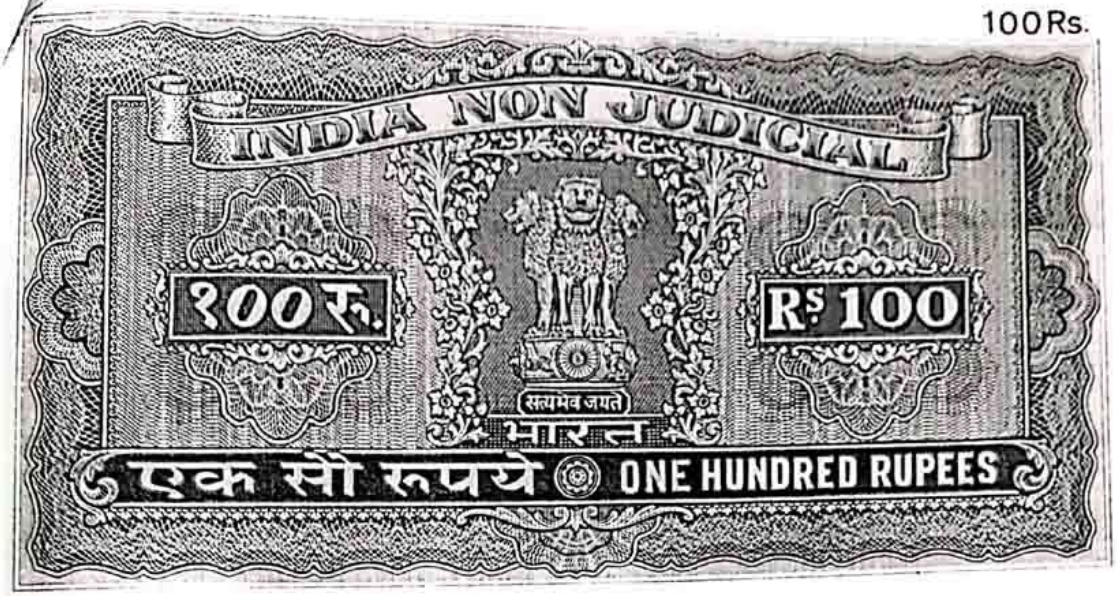

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

विवरण सम्पत्ति

सम्पूर्ण सम्पत्ति सं0 22, 1 चन्दर नगर देहरादून जिसका कि कुल क्षेत्रफल 111 - 02 वर्ग मीटर है, जिसमें निर्मित क्षेत्रफल 78-30 वर्ग मीटर है व खुला क्षेत्रफल 32 -72 वर्ग मीटर है जो कि साथ में संलग्न मौके के नक्शे में लाल व पीले रंग से भली भांति प्रदर्शित किया गया है जिसकी सीमायें निम्नवत् है:----

उत्तर में:- कॉमन आब चक बाद में सम्पत्ति श्रीमति उमती प्रेम

दक्षिण में:- संपत्ति अंशतः स्वर्गीय जोधा राम लखानी,
स्वर्गीय टेक चन्द व श्रीमति इन्दी बाई

पूर्व में:- कॉमन पैसेज तथा

पश्चिममें:- कॉमन आबचक बाद में सम्पत्ति श्री राम लाल आदि

लाल रंग से घिरी सम्पत्ति विक्रय की गयी है जो कि सम्पत्ति का भाग पीले रंग से दिखाया गया है वह दिवारें है वह मुश्तरका है। इससम्पत्ति में पानी की निकासी जिस तरह हो रही है उसी तरह होती रहेगी। सम्बन्धित सर्वाधिकार सहित। -

Ram Saran Lakhani

-7-

अतएव यह विक्रय पत्र अपनी खुशी व रजामन्दी से अपनी इन्द्रियों की स्वच्छ व स्वस्थ दशा मे बिना किसी व्यक्ति के सिखलाये बहकाये पढ़करसमझकर निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे समय पर काम आवे इति लिखित दिनांक 28-10-.1998 सिवो स्थान कचहरी देहरादून।

Ram Saran Lakhani

ह0-------------- विक्रेता

राम सरन लखानी

गवाह --------- गवाह -------

S/o Sh. Ram Saran Lakhani

रचियता:- पी0 के0 अरोड़ा प्रमाण पत्र लेखक देहरादून।

पी० के० अरोड़ा
प्रमाण पत्र लेखक
कचहरी, देहरादून

टाईपकिया - अशोक कुमार मित्तल हिन्दी टाईपिस्ट देहरादून।

5444/4 — 100

27-10-98

शामिल सं०

स्टाम्प विक्रेता, कोर्ट

449 — 54

619 — 343/360

28/x/98